# अध्याय - प्रथम

# शोध विषय का परिचय

**अध्याय प्रथम : शोध विषय का परिचय**

1.1 प्रस्तावना
1.2 लैंगिक असमानता : एक ऐतिहासिक अध्ययन
1.3 वैदिकालीन स्त्री शिक्षा
1.4 बौद्ध कालीन स्त्री शिक्षा
1.5 मध्यकालीन स्त्री शिक्षा
1.6 राधाकृष्णन कमीशन (1948–49)
1.7 मुदालियर कमीशन (1952–53)
1.8 कोठारी आयोग (1964–66)
1.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
1.10 आचार्य राममूर्ति समिति (1990)
1.11 राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम
1.12 महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतू योजनाएँ
1.13 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005
1.14 संविधान
1.15 नारी के उत्थान में डॉ. आम्बेडकर की भूमिका
1.16 अध्ययन की आवश्यकता
1.17 समस्या कथन
1.18 समस्या कथन मे प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण
1.19 सामाजिक स्थिति से आशय
1.19.1 आर्थिक स्थिति से आशय
1.19.2 सामाजिक आर्थिक स्थिति से आशय
1.20 लिंग भेद (Gender disparities) क्या है
1.20.1 लैंगिक विषमताओं के कारण (Causes of gender disparities )
1.21 अभिवृत्ति का अर्थ
1.21.1 अभिवृत्तियों के प्रकार
1.21.2 अभिवृत्ति की विशेषताएँ
1.22 संवेगात्मक बुद्धि अर्थ एवं परिभाषा
1.22.1 डेनियल गोलमैन (चार मॉडल)
1.22.2 संवेगात्मक समझ से अभिप्राय
1.23 शोध के उद्देश्य
1.24 परिकल्पना
1.25 शोध की परिसीमाएँ

# अध्याय प्रथम

# शोध विषय का परिचय

## 1.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत अनुसंधान का क्षेत्र लिंग असमानता है। अनुसंधानकर्ती ने इस विषय का चयन कई प्रकार की पत्र–पत्रिकाओं, किताबों एवं अपने निजी जीवन मे लिंग असामनता को देखते हुए किया है।

यह बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि समाज में लड़के तथा लड़कियों के मध्य अन्तर दर्शाया जाता है। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो तो तुम्हे ऐसा करना चाहिए, तुम लड़की हो तो तुम्हे ऐसा करना चाहिए। इस तरह बच्चों के दिमाग में यह विचार घर कर जाता है कि हमारे व्यवहार, आचार विचार यहाँ तक कि कपड़े पहनने का ढंग भी उनके लिंग के आधार पर बटे होते है। उनके कार्य भी उनके लिंग पर आधारित होते है।

## 1.2 लैंगिक असमानता : एक ऐतिहासिक अध्ययन

समाज का निर्माण स्त्री–पुरूष के सहयोग से होता है। इसका आशय है कि सामाजिक व्यवस्था के संचालन में दोनो की समान भागीदारी। महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रारम्भ से अब तक दो तरह के विचार मौजुद है – एक वह जो उसे परम्परागत रूप से पुरूषों के आधीन एवं गृहिणी के रूप में समझते है। वही दूसरी ओर, एक समुदाय ऐसा है जो उसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से सशक्त स्वीकारता है। विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली नारी की स्थिति सदैव परिवर्तित होती रही है।

## 1.3 वैदिकालीन स्त्री शिक्षा

पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को भी पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परन्तु बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ नहीं थी। उच्च वर्गीय बालिकाएँ घर पर ही शिक्षा प्राप्त करती थी। इस काल में स्त्रियों के लिए अलग से गुरूकुल की व्यवस्था नही थी जिन गुरूकुलों में  कन्या प्रवेश ले सकती थी।वैदिक काल में स्त्री शिक्षा और अधिक उपेक्षित रही।

### 1.4 बौद्ध कालीन स्त्री शिक्षा

बौद्ध शिक्षा प्रणाली मे स्त्रियों को पुरूषों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था परन्तु पहली बात तो यह है कि उनकी शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया और दूसरी बात यह है कि उन्हें भी पुरूष छात्रों की भांति श्रमण जीवन के कठोर नियमों का पालन करना होता था और बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमानुसार जीवन जीना होता था। परिणामतः बहुत कम बालिकाएँ ही बौद्ध मठों एंव विहारों में प्रवेश लेती थी और इस युग में स्त्री शिक्षा मे ह्यस होना शुरू हो गया।

### 1.5 मध्यकालीन स्त्री शिक्षा

मध्यकाल मे बच्चियों को मकतबों में तो प्रवेश दिया जाता था परन्तु मदरसों मे नहीं। मकतबों मे भी बहुत कम लोग अपनी बालिकाओं को भेजते थे। और मुसलमानों मे पर्दा प्रथा थी। इस प्रकार इस काल मे स्त्री शिक्षा का ह्यास हुआ।

### 1.6 राधाकृष्णन कमीशन (1948–49)

आयोग की सम्मति मे शिक्षित महिलाओं के अभाव में पुरूषों को भी शिक्षित नहीं किया जा सकता, अतः उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

- स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें सुमाता और सुगृहिणी बनाना होना चाहिए।
- स्त्रियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम मे गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र और पोषण की शिक्षा को स्थान देना चाहिए।
- उच्च शिक्षा स्तर पर सहशिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए।

इस आयोग मे भी स्त्री शिक्षा के सन्दर्भ में संकुचित दृष्टिकोण रहा आयोग ने शिक्षा द्वारा स्त्रियों को सुमाता और सुगृहिणी बनाने की बात कही है। आज के लोकतंत्रीय युग में पुरूष और स्त्री की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेद नही होना चाहिए।

### 1.7 मुदालियर कमीशन (1952–53)

- बालकों की तरह बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो।
- बालिकाओं के लिये गृहविज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए।
- माध्यमिक स्तर पर गृहविज्ञान वर्ग की अलग से व्यवस्था
- आवश्यकतानुसार बालिका विद्यालय खोले जाएँ

**1.8 कोठारी आयोग (1964–66)**

इसके अंतर्गत कई प्रकार की स्त्री शिक्षा विकास योजना की ओर संकेत किया गया है

- विशेष कार्य योजना द्वारा लड़के व लड़कियों के मध्य व्यापक असामनता को समाप्त करना।
- सामान्य कार्य योजना द्वारा का अर्थ लड़कियों की सभी स्तर एवं क्षेत्र की शिक्षा का विकास करना।
- नारी तथा पुरूष की शिक्षा के मध्य के अन्तर को यथाशीघ्र दूर किया जाय।
- आने वाले वर्षो में नारी शिक्षा को शिक्षा के कार्यक्रम मे अधिक बल देना चाहिए जिससे नर–नारी शिक्षा के मध्य की खाई को पाटा जा सके।
- इस कार्य के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये जाये।

**1.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)**

में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा क्षेत्र की विषमतओं को दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढो की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसमें महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर भी जोर दिया गया है।

**1.10 आचार्य राममूर्ति समिति (1990)**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के उपरान्त 26 दिसम्बर 1990 को आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति ने समानता तथा सामाजिक न्याय, शैक्षिक प्रबंध शैक्षिक व्यवस्था की स्थापना, प्रबुद्ध व मानवीय समाज के सृजन के लिए आवश्यक मूल्यों का विकास और कार्यक्षमता का विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। इस समिति की मुख्य स्तुतियां निम्नलिखित थी–

1. शोषण मुक्त समाजिक, आर्थिक व्यवस्था की स्थापना।
2. बलिका शिक्षा पर कई सुझाव ,महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।
3. पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए कई सुझाव आदि।

### 1.11 राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम

यह केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में प्रारम्भ किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त उपक्रमों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को अधिक सहायता उपलब्धि करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तीस्तर के लोगों को शिक्षा प्रशिक्षण, प्रतिवर्ष प्रति बालिका को 150 रू. की राशी स्थानीय तौर पर महसूस की जाने वाली आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रदान की गई।

### 1.12 महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतू योजनाऍं

सरकार द्वारा चलाए गए कार्यकम निम्नलिखित है।

- महिला जाग्रत योजना
- समन्वित महिला विकास योजना
- किशोरियों हेतु योजना
- महिला समृद्धि योजना
- जवाहर रोजगार योजना
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अपनी बेटी अपना धन योजना
- कामधेनु योजना।

### 1.13 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005

शिक्षा व्यवस्था समाज से अलग–थलग होकर काम नहीं करती जिसका वह एक भाग है। जातिगत आर्थिक तथा स्त्री पुरूष संबंधों का पदानुक्रम सांस्कृतिक विविधता और असमान विकास से जो भारतीय समाज की विशेषताएं है। शिक्षा की प्राप्ति और स्कूलों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती है। एन.सी.एफ. 2005 में भी समानता की बात की गई है। इसमें कहा गया कि असमान लैंगिक संबंध न केवल वर्चस्व को बढ़ावा देता है,बल्कि वे लड़के–लड़कियों में तनाव भी पैदा करते है। तथा उनकी मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास

की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाते है। यह सबके हित में है,कि मनुष्य को लिंग असमानताओं से मुक्त कराया जाए।

### 1.14 संविधान

अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार :– राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार – राज्य किसी नागरिक के विरूध्द, केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

### 1.15 नारी के उत्थान में डॉ. आम्बेडकर की भूमिका

डॉ. आम्बेडकर की मान्यता थी, कि नारी की प्रगति के बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है समाज में नारी की स्थिति को आम्बेडकर समाज की प्रगति का मापदण्ड मानते थे। उनका कहना था कि " मैं किसी समाज की प्रगति इस आधार पर मापता हूँ" कि उस समाज में नारी ने किस सीमा तक प्रगति की है।

### 1.16 अध्ययन की आवश्यकता

वैसे तो कई अनुसंधानकर्ताओं ने इस विषय पर कार्य किया है। और बहुत उचित एवं सफल परिणाम भी प्राप्त किये है। किन्तु अनुसंधानकर्ती आज के युग के अनुरूप अध्ययन करने का प्रयास करना चाहती है, कि आज के इतने आधुनिक युग में भी छात्र और छात्राओं के विचार लिंग असमानता को लेकर किस प्रकार के है?

### 1.17 समस्या कथन : कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, लैंगिक अभिवृत्ति और संवेगात्मक बुद्धि के मध्य संबंध : एक अध्ययन

### 1.18 समस्या कथन मे प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

### 1.19 सामाजिक स्थिति से आशय

साामजिक स्थिति आधुनिक समाज की बुनियादी अवधारणा है। सामाजिक स्थिति के अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए तो "बीयरस्टेट (1970: 242) ने कहा है " कि समाज स्थितियों का एक जाल है। इस अवलोकन से सही स्पष्ट

होता है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जिन सामाजिक स्थितियों का निर्माण होता है उन्हीं का एक समग्र है। यह भी नहीं समझा जाना चाहिए कि समाज मात्र सामाजिक स्थिति का एक समग्र मात्र है। अन्य सामाजिक अवधारणाओं की तरह सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने में कुछ वैचारिक कठिनाईयॉं है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे Rank Order के अर्थ मे समझने का प्रयास किया है। जब भी हम Rank की बात करते हैं, तो उच्च या निम्न वर्ग का भाव प्रकट करते हैं। इसके साथ हमेशा इज्जत या प्रतिष्ठा का भाव जुड़ा होता है। समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण सामाजिक नियमों के अनुसार होता है। स्थिति सामाजिक नियमों से अलग नहीं है। किसी व्यक्ति को समाज में कैसा आचरण करना है या किसी व्यक्ति का समाज में क्या अधिकार, कर्तव्य या उत्तरदायित्व है, इसका निर्धारण उस व्यक्ति की स्थिति से होता है। सामाजिक मानदण्ड व्यक्तियों से नहीं जुड़ा होता है। बल्कि व्यक्तियों की स्थिति से जुड़ा होता है। व्यक्तियों के व्यवहार का संचारन सामाजिक मानदण्डों के द्वारा व्यक्ति की स्थिति से मालूम होता है।

### 1.19.1 आर्थिक स्थिति से आशय

भारत में अत्याधिक गरीबी है जनता का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे रहता है। गरीब व्यक्ति अपने लिए और अपने बच्चों के भरण पोषण में भी कभी–कभी स्वयं को असमर्थ पाता है। भारत में अनेक ऐसे बालक हैं जिनके माता–पिता बहुत गरीब हैं।

गरीब माँ बाप अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। वे बच्चों को मजदूरी आदि में लगा देते हैं। यदि ये बच्चे अपने परिवार के लिए श्रम न करें तो उन्हें पूरे समय भोजन भी न मिल पाए इससे बच्चों के व्यवहार में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है।

### 1.19.2 सामाजिक आर्थिक स्थिति से आशय

बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। इस अवस्था में बालक जिन वैयक्तिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतों एवं व्यवहार के प्रतिमानों का निर्माण कर लेता है। स्वभाव जन्म से उत्पन्न गुणों का

समूह है जो बालक को विश्व के निकट लाता है। आसान स्वभाव के बालक जो ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ, निर्धनता और पारिवारिक संसाधनों की कमी है, वे सामाजिक–आर्थिक समायोजन समस्याओं को कम प्रदर्शित करते हैं, जबकि कठिन स्वभाव के बालक सामाजिक– आर्थिक समायोजन समस्याओं को अधिक प्रदर्शित करते हैं। अतः बालक का स्वभाव और वातावरण न केवल आपस में अंतः क्रिया करते हैं, बल्कि एक दूसरों में सुधार भी करते हैं। वातावरणीय प्रभाव, स्वभाव उक्त में गहन रूप से परिवर्तन करता है। परिवार में बालक को पहला भौतिक वातावरण मिलता है, जिसके साथ बालक अतः क्रिया करता है व उससे प्रभावित होता है। अगर बालक को यह प्रतिकूल वातावरण मिलता है तो उसके स्वभाव में कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस जटिल कार्य में परिवार का सामाजिक–आर्थिक स्तर बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है व वातावरण के साथ अतः क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के अभिभावक मनोवैज्ञानिक गुणों (यथा जिज्ञासा, खुशी, सवनिर्देशन) पर अत्याधिक बल देते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के अभिभावकों में लिंग रूढ़िबद्ध विश्वास अधिक पाये जाते हैं। अतः दोनों ही भूमिकाएँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भावनात्मक अभिवृत्ति को प्रभावित करती है।

### 1.20 लिंग भेद (Gender disparities) क्या है

लैंगिक विषमताओं से आशय है, शिक्षा के क्षेत्रों या शिक्षा प्राप्ति के लिए लैंगिक आधार पर अवसरों की असमानता हमारे देश में बालक तथा बालिकाओं के लिए उपलब्ध शिक्षा के अवसरों में पर्याप्त विषमताऍ है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस प्रकार की विषमताऍ और भी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है नगरीय क्षेत्रों में भी पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बालक–बालिकाओं के लिए उपलब्ध शिक्षा में पर्याप्त विषमताऍ देखी जाती है।

**1.20.1लैंगिक विषमताओं के कारण (Causes of gender disparities )** हमारे समाज में बालिकाओं तथा बालकों की शिक्षा में पायी जाने वाली विषयताओं के कारण सामान्यतः निम्नलिखित है

1. बालिका शिक्षा की उपेक्षा
2. घर से विद्यालय का दूर होना
3. बालिका शिक्षा की सुविधाओं में कमी
4. बालिकाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का न होना
5. लड़को को माता पिता द्वारा बालिकाओं से अधिक महत्व देना
6. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आने–जाने की सुवधाओं की कमी
7. सह–शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण
8. अशिक्षित माता–पिता
9. महिला शिक्षिकाओं की कमी

लैंगिक आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में विषमताओं का होना व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र तीनों के लिए ही हानिप्रद है। संतानों को सुसंस्कृत तथा शिक्षित बनाने हेतु नारी का शिक्षित होना अति आवश्यक है।

**1.21 अभिवृत्ति का अर्थ**

मनोवृत्ति या अभिवृत्ति शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Attitude' शब्द का रूपान्तर है जो लैटिन भाषा के Aptus शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तत्परता या मानसिक झुकाव। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा विचार के प्रति प्रतिक्रिया करने की तत्परताओं को मनोवृत्ति कहते हैं।

परिभाषाओं के आधार पर हम मनोवृत्तियों का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। मनोवृत्ति के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अलग–अलग तरह से अभिवृत्ति को परिभाषित किया है।

"आलपोर्ट" की निम्नलिखित परिभाषा में अभिवृत्ति की पाँच विशेषताओं को बताया गया है

(1)अभिवृत्ति व्यवहार करने की मानसिक गतिविधि है

(2)स्नायविक स्थिति है

(3)अनुभवों के आधार

(4)निर्देशात्मक

(5)प्रकार्यात्मक प्रभाव

"सिकोर्ड एवं बैकमैन (1979) के अनुसार" अपने परिवेश के कुछ तत्वों के प्रति व्यक्ति के नियंत्रित भाव एवं कार्य करने की पूर्ववृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं।

**1.21.1 अभिवृत्तियों के प्रकार**

(1) धनात्मक अभिवृत्ति (Positive Attitude)

(2) ऋणात्मक अभिवृत्ति (Negative Attitude)

(3) तटस्थ अभिवृत्ति (Neutral )

(4) सामाजिक अभिवृत्ति (Social Attitude)

(5) विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति (Attitude towords specific persons)

**1.21.2 अभिवृत्ति की विशेषताएँ**

(1) अभिवृत्ति सीखी जाती है यह जन्मजात नहीं होती है।

(2) अभिवृत्ति से किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति दिशा निर्धारित होती है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति भावना अनुकूल है तो उसके प्रति आकर्षण का प्रदर्शन होगा। इसके विपरीत प्रतिकूल भावना होने पर उससे विमुख होने की इच्छा होगी।

(3) मनोवृत्तियाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं।

(4) मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है।

(5) अभिवृत्तियों में विषयवस्तु सम्बन्ध होता है।

(6) मनोवृत्ति के कारण व्यक्ति की भावनाओं, विचारों तथा कार्यों में संगति और समानता होती है। जिस व्यक्ति के प्रति हमारी भावनाएँ अच्छी और सुखद होती हैं, उससे संबंधित विचार और ज्ञान सकारात्मक होते हैं। तथा उसके प्रति हमारे अन्दर मधुर व्यवहार करने की उन्मुखता होती है।

**1.22 संवेगात्मक बुद्धि अर्थ एवं परिभाषा**

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर अवलोकन किया जाये तो संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग 1990 में सबसे पहले दो अमेरिकन प्रोफेसरों डॉ. जॉन मेयर तथा डॉ. पीटर सेलोवे द्वारा एक ऐसा वैज्ञानिक प्रमाप तैयार करने हेतु किया गया था, जिससे लोगों की संवेगात्मक क्षेत्र में विद्यमान वैयक्तिक योग्यताओं में विभेदीकरण किया जा सके। परन्तु जिस रूप में आज संवेगात्मक बुद्धि पद की सर्वत्र चर्चा की जाती है, उसे इस तरह से लोकप्रिय बनाने का श्रेत्र केवल एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को ही जाता है।

**1.22.1 डेनियल गोलमैन 1996 ने चार मॉडल द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का परिचय दिया है।**

**(1) आत्म जागरूकता :–** इसमें इन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्म जागरूकता का अनुभव करने की पात्रता होनी चाहिए अपनी भावनाओं एवं संवेगों का ज्ञान होना चाहिए जिससे इनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो।

**(2) आत्म प्रबंधन :–** इसमें अपने विभिन्न परिस्थिति में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके आगे बढ़ना आना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में अपने आत्म प्रबंधन द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहिए।

**(3) सामाजिक जागरूकता :–** प्रत्येक व्यक्ति में दक्षता होना चाहिए कि वह सामाजिक गतिविधियों से परिचित रहे क्योंकि समाज सामाजिक संवेगों का जाल है।

**(4) संवेगात्मक बुद्धि और लिंग :–** गोलमैन के अनुसार महिलाओं एवं पुरूषों में भावनात्मक बुद्धि के आधार पर कोई अन्तर नहीं होता। अन्तर केवल क्षेत्र के अनुसार होता है। इन दोनों की ही भावनात्मक बुद्धि समान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है।

**1.22.2 संवेगात्मक समझ से अभिप्राय**

(1) अपनी भावनाओं संवेगों को समझना उनका उचित तरह से प्रबंध करना ही भावनात्मक समझ है।

(2) इसमें व्यक्ति अपनी भावनात्मक समझ का उपयोग कर सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी तरह से सवांद कर सकता है।

(3) डेनियल गोलमैन की पुस्तक भावनात्मक समझ को सारे विश्व में प्रचलित कर दिया है।

(4) अच्छी भावनात्मक समझ रखने वाला व्यक्ति कभी भी कोध और खुशी के अतिरेक में आकर अनुचित कदम नहीं उठाता है।

## 1.23 शोध के उद्देश्य

(1) कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

(2) कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों की लैंगिक अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

(3) कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि बद्धि का अध्ययन करना।

(4) कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्थिति और लैंगिक अभिवृत्ति के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

(5) कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों में लैंगिक अभिवृत्ति और संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

(6) कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्थिति और संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

(7) कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्थिति, लैंगिक अभिवृत्ति और संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

## 1.24 परिकल्पना

1 कक्षा 9वी के विद्यार्थियों की सामाजिक स्थिति एंव संवेगात्मक बुद्धि के मध्य कोई सार्थक संबंध नही है।

2 कक्षा 9वी के विद्यार्थियों की सामाजिक स्थिति एंव लैंगिक अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

3 कक्षा 9वी के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि एंव लैंगिक अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

4 कक्षा 9वी के विद्यार्थियों की सामाजिक स्थिति एंव संवेगात्मक बुद्धि और लैंगिक अभिवृत्ति के मध्य कोई संबंध नहीं है।

## 1.25 शोध की परिसीमाएँ

(1) प्रस्तुत अध्ययन केवल भोपाल जिले तक सीमित है।

(2) यह अध्ययन कक्षा 9 तक ही सीमित है।

(3) माध्यमिक स्तर तक ही सीमित है।

(4) यह अध्ययन दो विद्यालयों तक ही सीमित है।